



संख्या-32/2025/620/77-6-2025-6099/104/2022/1623733

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,

उद्योग,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 29-03-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष-2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 130.56 करोड़ के सापेक्ष कुल रु. 1,15,59,477.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-इन्स-आईआईपीएस-10/07-08/Vol-VI/1489 दिनांक 18.03.2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की 10 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि रु0 130.56 करोड़ के सापेक्ष कुल रु. 1,15,59,477.00 (रुपया एक करोड़ पन्द्रह लाख उनसठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-

क्र.स.	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति धनराशि	वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि (स्वीकृत धनराशि का 90 प्रतिशत)	इकाई को 10 प्रतिशत वितरित की जाने वाली धनराशि
1	मै0 जिन्दल सॉलि0, मथुरा	2017-18	7,51,54,774.00	6,76,39,297.00	75,15,477.00
2	मै0 स्पर्श	2017-18	1,45,44,827.00	1,30,90,344.00	14,54,483.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, कानपुर				
3	मै० सुयश पेपर मिल्स, बस्ती	2020-21	2,58,95,172.00	2,33,05,655.00	25,89,517.00
	योग		11,55,94,773.00	10,40,35,296.00	1,15,59,477.00

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 130.56 करोड़ (रूपये एक अरब तीस करोड़ छप्पन लाख मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु कुल रु. 1,15,59,477.00 (रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख उन्सठ हजार चार सौ सतहतर मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त किए जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, उद्योग मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. पिकप द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाईयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
 9. पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।
 10. यदि इन इकाइयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
 11. पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
 12. ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
 13. यदि पिकप द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो पिकप द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।
 14. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
 15. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 16. पिकप यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत इकाइयों को प्रदान किया जाना प्रोत्साहन के लाभ में द्विरावृत्ति (Duplicacy) की स्थिति उत्पन्न न हो।
 17. पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपया. 1,15,59,477.00 (रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख उनसठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6885011900600** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 **मानक मद 30** निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-268-X-2024-25, दिनांक 28.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 32/2025/620(1)/77-6-2025-6099/104/2022/1623733 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- निजी सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 4- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्र संख्या-इन्स-आईआईपीएस-10/07-08/Vol-VI/1489 दिनांक 18.03.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 11- नियोजन अनुभाग-1/4
- 12- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।